बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

पत्रांकः– भवन–12/अभि०प्र०(यो०)–02–विविध–34/2020/.......... पटना, दिनांकः– ....

प्रेषक,

राकेश कुमार
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
दक्षिण बिहार अंचल,
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

विषयः– स्पष्टीकरण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि प्रशासनिक स्वीकृति हेतु उपलब्ध तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन में ऐसे गैर अनुसूचित मदों का प्रावधान किया जाता है, जिसका समतुल्य मद Schedule of Rate में पहले से उपलब्ध रहता है। (जैसे कि– Cupboard /Kitchen cabinet, wall tiles, floor tiles, wall mounted water closet, kitchen sink, texture paint, basin mixer, sensor urinal etc).

भवन निर्माण विभाग का पत्रांक– 5534(भ), दिनांक–21.06.2019 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत सभी श्रेणी के आवास में मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्य बिहार राज्य के अनुसूचित दर के मदों के अनुसार ही कराया जाएगा। किसी भी स्थिति में किसी आवास की मरम्मति में ऐसे गैर अनुसूचित मदों/कार्यों का प्रावधान नहीं किया जाय जिसका समतुल्य मद अनुसूचित दर में उपलब्ध हो।

अतः उक्त के आलोक में पत्र प्राप्ति के 7 दिनों के अन्तर्गत अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि क्यों नहीं आपका तथा आपके अंचलाधीन कार्यरत तकनीकी सलाहकार/प्राक्कलन पदाधिकारी एवं प्राक्कलकों का वेतन रोककर वसूली की अनुशंसा की जाए।

विश्वासभाजन,

ह०/–
(राकेश कुमार)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– भवन–12/अभि०प्र०(यो०)–02–विविध–34/2020/7257(भ) पटना, दिनांकः– 8/9/23

प्रतिलिपिः: मुख्य अभियंता (प०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उक्त के संबंध में अपने स्तर से भी सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित करें।

प्रतिलिपिः अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः IT Manager, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8/9/23

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।